

## राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम


ई एम.आई. केम्पस, जे-8-बी, झालाना रास्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राजस्थान)

क्रमांक: आरएसएलडीसी / प्रशा. / कोविड / का.आ. / 33438

दिनांक: 19-04-2021

### कार्यालय आदेश

गृह(ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक 18.04.2021 द्वारा जारी किये गये आदेश की अनुपालना में दिनांक 19.04.2021 से 03.05.2021 प्रातः 5:00 बजे तक निगम कार्यालय बन्द रहेगा। उक्त अवधि में सभी राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सेवाप्रदाता फर्म यथा पीएमसीए मै. ग्रान्ट थोरन्टन भारत/मै. जिला पूर्व सैनिक बहुउद्देशिय सहकारी समिति लिमिटेड, कोटा/मै. IPAI के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि सभी Work from Home पर रहें तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/मोबाईल फोन पर उपस्थिति/उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इस समय अवधि के दौरान उक्त सभी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है।


  
(प्रदीप के. गावंडे)  
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक: आरएसएलडीसी / प्रशा. / कोविड / का.आ. / 33439-446

दिनांक: 19-04-2021

### प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, आरएसएलडीसी, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक-I/II/III, आरएसएलडीसी, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, आरएसएलडीसी, जयपुर।
4. उपमहाप्रबन्धक-I/III, आरएसएलडीसी, जयपुर।
5. समस्त प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, आरएसएलडीसी, जयपुर।
6. प्रोग्राम मैनेजर-पीएमसीए,
7. सेवा प्रदाता फर्म मै. ग्रान्ट थोरन्टन भारत/मै. जिला पूर्व सैनिक बहुउद्देशिय सहकारी समिति लिमिटेड, कोटा/मै. IPAI के समस्त कार्मिक
8. केयर टेकर को निर्देशित किया जाता है कि कार्यस्थल पर राज्य सरकार के संदर्भित आदेशानुसार कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु जारी सामान्य सुरक्षा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
9. रक्षित पत्रावली।

  
महाप्रबन्धक (प्रशासन)